



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03112025-267333  
CG-DL-E-03112025-267333

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 320]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 31, 2025/ कार्तिक 9, 1947

No. 320]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 31, 2025/ KARTIKA 9, 1947

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय  
(वाणिज्य विभाग)  
(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरूआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 अक्टूबर, 2025

मामला सं. ए डी (ओआई) -51/2025

विषय: चीन पीआर, सिंगापुर और संयुक्त राज्य अमेरिका में उत्पन्न होने वाले या वहां से निर्यात होने वाले हेलो-आइसोब्यूटिलीन-आइसोप्रीन रबर (एचआईआईआर) के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरूआत।

फा. संख्या 6/59/2025-डीजीटीआर.-

1. समय-समय पर संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (इसके बाद इसे "अधिनियम" के रूप में भी जाना जाता है) और सीमा शुल्क टैरिफ (डंप किए गए सामानों पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, मूल्यांकन और संग्रह और क्षति के निर्धारण के लिए) को ध्यान में रखते हुए। नियम, 1995, समय-समय

पर संशोधित (इसके बाद इसे "नियम या एडी नियम" के रूप में भी जाना जाता है), रिलायंस सिबुर इलास्टोमर्स प्राइवेट लिमिटेड (इसके बाद "आवेदक" के रूप में संदर्भित) ने नामित प्राधिकारी के समक्ष एक आवेदन दायर किया है ( मूल या निर्यातित "हेलो-आइसोब्यूटिलीन-आइसोप्रीन रबर" (इसके बाद "विषय वस्तु" या "विचाराधीन उत्पाद" या "(एचआईआईआर)" के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू करने के लिए इसे इसके बाद "प्राधिकरण" के रूप में संदर्भित किया गया है) चीन पीआर, सिंगापुर और संयुक्त राज्य अमेरिका (इसके बाद "संबद्ध देशों" के रूप में संदर्भित) से।

2. आवेदक ने आरोप लगाया है कि विषयगत देशों में मूलतः या वहाँ से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के आयातों की कथित डंपिंग के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है। तदनुसार, आवेदक ने विषयगत देशों में मूलतः या वहाँ से निर्यातित विषयगत वस्तुओं के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया है।

**क. विचाराधीन उत्पाद**

3. विचाराधीन उत्पाद हेलो-आइसोब्यूटीन-आइसोप्रीन रबर है, जिसे हेलोब्यूटिल रबर भी कहा जाता है। विचाराधीन उत्पाद में ब्रोमोब्यूटिल रबर ("BIIR") और क्लोरोब्यूटिल रबर ("CIIR") दोनों शामिल हैं। विचाराधीन उत्पाद आइसोब्यूटिलीन-आइसोप्रीन रबर ("IIR") के आइसोप्रीन समूहों के हैलोजनीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है, जिससे बेहतर गुणों और विशेषताओं वाला रबर प्राप्त होता है।
4. HIIR का उपयोग साइकिलों, यात्री कारों, ट्रकों, और औद्योगिक एवं कृषि टायरों की आंतरिक ट्यूबों में किया जाता है। विचाराधीन उत्पाद का उपयोग नली, सील, झिल्ली, टैंक लाइनिंग, कन्वेयर बेल्ट, सुरक्षात्मक कपड़े और उपभोक्ता उत्पादों, जैसे खेल के सामान के लिए बॉल ब्लैडर, बनाने में भी किया जाता है।
5. विचाराधीन उत्पाद को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की अनुसूची I के अध्याय 40 के अंतर्गत एचएस कोड 4002 3900 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। तथापि, क्षति अवधि के दौरान, विचाराधीन उत्पाद को एचएस कोड 4002 1990, 4002 3100 और 4002 4900 के अंतर्गत भी आयात किया गया है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।
6. आवेदक ने प्रस्ताव दिया है कि पीसीएन पद्धति, जैसा कि विषयगत वस्तुओं के संबंध में पिछली जांच में अपनाई गई थी, वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए भी अपनाई जा सकती है।

PCN पैरामीटर	मान	कोड
स्टार-ब्रांच्ड हैलो-ब्यूटाइल	क्लोरोब्यूटाइल	SC

PCN पैरामीटर	मान	कोड
	ब्रोमोब्यूटाइल	SB
अन्य हैलो-ब्यूटाइल	क्लोरोब्यूटाइल	OHC
	ब्रोमोब्यूटाइल	OHB

**ख. समान वस्तु**

7. आवेदक ने दावा किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुओं और चीन पीआर से निर्यातित वस्तुओं में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है। दोनों उत्पादों में भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और उपयोग, उत्पाद विनिर्देश, मूल्य निर्धारण, वितरण और विपणन और टैरिफ वर्गीकरण जैसे मापदंडों के संदर्भ में तुलनीय विशेषताएं हैं। आवेदक ने दावा किया कि दोनों तकनीकी और व्यावसायिक रूप से प्रतिस्थापन योग्य हैं। इसलिए, प्रस्तावित जांच के प्रयोजन के लिए, आवेदक द्वारा उत्पादित विषय वस्तु को विषयगत देशों में उत्पन्न होने वाले या वहां से निर्यात किए गए विषय वस्तु के 'समान वस्तु' के रूप में माना जा रहा है।

**ग. घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति**

8. यह आवेदन रिलायंस सिबुर इलास्टोमर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदक देश में विषयगत वस्तुओं का एकमात्र उत्पादक है। आवेदक ने जाँच अवधि के दौरान विषयगत वस्तुओं का आयात नहीं किया है और वह विषयगत देशों से कथित पाटित वस्तु के किसी निर्यातक या आयातक से संबंधित नहीं है। उपर्युक्त के मद्देनजर, प्राधिकारी प्रथम दृष्टया नोट करते हैं कि आवेदक पाटनरोधी नियमों के नियम 2(ख) के अंतर्गत घरेलू उद्योग है, और आवेदन नियमों के नियम 5(3) की आवश्यकताओं को पूरा करता है।

**घ. संबद्ध देश**

9. यह आवेदन चीन जन.गण., सिंगापुर और संयुक्त राज्य अमेरिका से विचाराधीन उत्पाद के डंप किए गए आयात के संबंध में दायर किया गया है।

**ङ. जांच की अवधि**

10. प्राधिकरण ने 1 जुलाई 2024 से 30 जून 2025 (12 महीने) की अवधि को जाँच की अवधि माना है। क्षति जाँच अवधि में अप्रैल 2021 - मार्च 2022, अप्रैल 2022 - मार्च 2023, अप्रैल 2023 - जून 2024 और जाँच अवधि शामिल होगी।

**च. कथित डंपिंग का आधार**

चीन पीआर में सामान्य मूल्य

11. आवेदक ने चीन के परिग्रहण प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15(ए)(i) और पाटनरोधी नियमों के अनुबंध I के पैरा 7 का हवाला दिया है और उन पर भरोसा किया है, और दावा किया है कि चीन जन.गण. को एक गैर-

बाज़ार अर्थव्यवस्था माना जाना चाहिए और चीन जन.गण. के उत्पादकों को यह प्रदर्शित करने का निर्देश दिया जाना चाहिए कि विषयगत वस्तुओं के उत्पादन और बिक्री के संबंध में उद्योग में बाज़ार अर्थव्यवस्था की स्थितियाँ विद्यमान हैं। जब तक चीन जन.गण. के उत्पादक यह प्रदर्शित नहीं करते कि ऐसी बाज़ार अर्थव्यवस्था की स्थितियाँ विद्यमान हैं, तब तक उनके सामान्य मूल्य की गणना पाटनरोधी नियम, 1995 के अनुबंध I के पैरा 7 और 8 के प्रावधानों के अनुसार की जानी चाहिए। आवेदक ने कच्चे माल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों, घरेलू उद्योग के आंकड़ों के अनुसार उत्पादन लागत के शेष तत्वों और मुनाफे को ध्यान में रखते हुए, भारत में देय मूल्य के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित किया है। आवेदक ने प्रस्तुत किया है कि नियमों के अनुबंध-I के पैरा 7 में सूचीबद्ध किसी अन्य आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए आवश्यक जानकारी उसके पास उपलब्ध नहीं थी।

12. इस जांच को आरंभ करने के प्रयोजनार्थ, प्राधिकारी द्वारा सामान्य मूल्य का निर्माण भारत में देय मूल्य के आधार पर किया गया है, जो भारत में उत्पादन लागत पर आधारित है, जिसमें कच्चे माल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों अर्थात् आईआईआर को ध्यान में रखा गया है, जिसे उचित लाभ मार्जिन के साथ बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय के साथ विधिवत समायोजित किया गया है।

**छ. सिंगापुर और अमेरिका के लिए सामान्य मूल्य**

13. सिंगापुर और अमेरिका के संबंध में, आवेदक ने प्रस्तुत किया है कि उसके पास विक्रय मूल्यों से संबंधित जानकारी, या दोनों देशों में प्रचलित मूल्यों से संबंधित कोई अन्य जानकारी उपलब्ध नहीं थी। इसलिए, सामान्य मूल्य की गणना दोनों देशों के लिए पिछली जाँच में निर्धारित सामान्य मूल्य के आधार पर की गई है, जिसे दोनों जाँच अवधियों के बीच कच्चे माल की लागत में परिवर्तन के लिए समायोजित किया गया है।
14. तथापि, प्राधिकारी ने जांच शुरू करने के प्रयोजनार्थ, उपलब्ध तथ्यों के आधार पर, विषयगत देशों में विषयगत वस्तुओं की उत्पादन लागत को ध्यान में रखते हुए, कच्चे माल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों अर्थात् आईआईआर पर विचार करते हुए, भारत में विषयगत वस्तुओं की उत्पादन लागत को ध्यान में रखते हुए, बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्ययों तथा उचित लाभ के लिए विधिवत समायोजित सिंगापुर और यूएसए के लिए सामान्य मूल्य निर्धारित किया है।

**ज. निर्यात कीमत**

15. विषयगत वस्तुओं का निर्यात मूल्य, डीजी सिस्टम्स के आंकड़ों में दर्शाए गए अनुसार, विषयगत वस्तुओं के सीआईएफ मूल्य को ध्यान में रखकर निर्धारित किया गया है। समुद्री माल ढुलाई, समुद्री बीमा, कमीशन, बंदरगाह और हैंडलिंग व्यय, अंतर्देशीय माल ढुलाई, बैंक शुल्क, क्रेडिट लागत और इन्वेंट्री वहन लागत के आधार पर मूल्य समायोजन किया गया है ताकि कारखाना-बाहर निर्यात मूल्य निर्धारित किया जा सके।

**झ. पाटन मार्जिन**

16. सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9ए(1)(ए) के अनुसार, पाटन मार्जिन का निर्धारण किया गया है। विषयगत वस्तुओं के सामान्य मूल्य और निर्यात मूल्य की तुलना कारखाना-बाहर स्तर पर की गई है,

जिससे प्रथम दृष्टया पता चलता है कि पाटन मार्जिन न केवल न्यूनतम स्तर से ऊपर है, बल्कि विषयगत देशों से विचाराधीन उत्पाद के आयातों के संबंध में भी महत्वपूर्ण है। इस प्रकार, प्रथम दृष्टया साक्ष्य है कि विचाराधीन उत्पाद को विषयगत देशों के निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में पाट दिया जा रहा है।

**ज. चोट और कारण संबंध**

17. घरेलू उद्योग को हुई क्षति के आकलन के लिए आवेदक द्वारा प्रस्तुत सूचना पर विचार किया गया है। आवेदक ने इस बात पर जोर दिया है कि प्राधिकारी ने अपने अंतिम निष्कर्ष [एफ. संख्या 6/19/2023-डीजीटीआर] दिनांक 28 दिसंबर 2024 में पाया कि विषयगत वस्तुओं की डंपिंग उद्योग की स्थापना में बाधा डाल रही है। आवेदक ने दावा किया है कि चूँकि निष्कर्षों के अनुसार एंटी-डंपिंग शुल्क नहीं लगाया गया था, इसलिए घरेलू उद्योग की स्थापना में बाधा आ रही है। हालाँकि, यदि उद्योग को स्थापित माना जाता है, तो प्रदान की गई सूचना यह दर्शाएगी कि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है।
18. आवेदक ने कथित पाटित आयातों के कारण हुई वास्तविक क्षति के संबंध में प्रथम दृष्टया साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के आयात और आर्थिक मापदंडों से संबंधित जानकारी दर्शाती है कि आयातों में समग्र रूप से और भारत में उत्पादन और खपत के संबंध में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। संबद्ध वस्तुओं की कीमतों में गिरावट आई है, और आयातों ने घरेलू उद्योग की कीमतों को कम किया है। घरेलू उद्योग को कम उपयोग की गई क्षमताओं का सामना करना पड़ा है और उसे महत्वपूर्ण घाटा और नकद घाटा हुआ है। घरेलू उद्योग का नियोजित पूंजी पर प्रतिफल नगण्य है। पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं कि संबद्ध वस्तुओं के पाटन से घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हो रही है।

**ट. पाटनरोधी जांच की शुरुआत**

19. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत विधिवत् प्रमाणित आवेदन के आधार पर, तथा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर, संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के पाटन, घरेलू उद्योग को क्षति तथा ऐसे पाटन और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध को प्रमाणित करते हुए, तथा नियमों के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9ए के अनुसार, प्राधिकारी, एतद्वारा, संबद्ध देशों में मूलतः उत्पन्न या वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने के लिए जांच आरंभ करते हैं तथा पाटनरोधी शुल्क की उचित राशि की सिफारिश करते हैं, जो यदि लगाया जाता है तो घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा।

**ठ. प्रक्रिया**

20. वर्तमान जांच के लिए नियमों के नियम 6 में दिए गए सिद्धांतों का पालन किया जाएगा।

**ड. सूचना प्रस्तुत करना**

21. प्राधिकरण को सभी पत्र-व्यवहार ईमेल पते [dd15-dgtr@gov.in](mailto:dd15-dgtr@gov.in) और [jd13-dgtr@gov.in](mailto:jd13-dgtr@gov.in) पर ईमेल द्वारा भेजे जाने चाहिए, जिनकी एक प्रति [adv13-dgtr@gov.in](mailto:adv13-dgtr@gov.in) पर भी भेजी जानी चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्रस्तुति का विस्तृत भाग खोज योग्य पीडीएफ/एमएस वर्ड प्रारूप में हो

और डेटा फ़ाइलें एमएस एक्सेल प्रारूप में हों। जिन प्रस्तुतियों तक पहुँचने के लिए विशेष सॉफ़्टवेयर की आवश्यकता होती है, उन्हें स्वीकार नहीं किया जाएगा।

22. संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में उनके दूतावास के माध्यम से उनकी सरकारों, भारत में आयातकों और उपयोगकर्ताओं को संबद्ध वस्तुओं से संबंधित माना जाता है और घरेलू उत्पादकों को अलग से सूचित किया जा रहा है ताकि वे सभी प्रासंगिक जानकारी दर्ज कर सकें। नीचे निर्धारित समय-सीमा के भीतर निर्धारित प्रपत्र और तरीके से।
23. कोई अन्य हितबद्ध पक्ष भी जाँच से संबंधित अपने प्रस्तुतियाँ नीचे दी गई समय-सीमा के भीतर निर्धारित प्रारूप और तरीके से प्रस्तुत कर सकता है। प्राधिकरण के समक्ष कोई गोपनीय प्रस्तुति करने वाले किसी भी पक्ष को उसका एक अगोपनीय संस्करण अन्य पक्षों को उपलब्ध कराना आवश्यक है।

#### ढ. समय-सीमा

24. वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी जानकारी प्राधिकरण को ईमेल पते [adv13-dgtr@gov.in](mailto:adv13-dgtr@gov.in), [jd13-dgtr@gov.in](mailto:jd13-dgtr@gov.in) और [dd15-dgtr@gov.in](mailto:dd15-dgtr@gov.in) पर ईमेल के माध्यम से भेजी जानी चाहिए। एंटी-डॉपिंग नियमों के नियम 6(4) के अनुसार नोटिस प्राप्त होने की तारीख से तीस दिनों (30 दिन) के भीतर। हालाँकि, यह ध्यान दिया जा सकता है कि उक्त नियम के स्पष्टीकरण के संदर्भ में, सूचना और अन्य दस्तावेजों की मांग करने वाला नोटिस उस तारीख से एक सप्ताह के भीतर प्राप्त हुआ माना जाएगा जिस दिन इसे नामित प्राधिकारी द्वारा भेजा गया था या प्रेषित किया गया था। निर्यातक देशों के उपयुक्त राजनयिक प्रतिनिधि। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी है, तो प्राधिकरण नियमों के अनुसार अभिलेखों पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपना निष्कर्ष दर्ज कर सकता है।
25. सभी इच्छुक पार्टियों को सलाह दी जाती है कि वे तत्काल जांच में अपनी रुचि (रुचि की प्रकृति सहित) बताएं और उपरोक्त समय सीमा के भीतर अपनी प्रश्नावली प्रतिक्रिया/प्रस्तुति दाखिल करें।
26. जहां कोई हितबद्ध पक्षकार अनुरोध दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय चाहता है, तो उसे पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 6(4) के अनुसार ऐसे विस्तार के लिए पर्याप्त कारण प्रदर्शित करना होगा और ऐसा अनुरोध इस अधिसूचना में निर्धारित समय के भीतर आना चाहिए।

#### ण. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

27. जहां वर्तमान जांच में कोई पक्षकार गोपनीय अनुरोध करता है अथवा प्राधिकारी के समक्ष गोपनीय आधार पर सूचना देता है वहां उस पक्षकार के लिए यह अपेक्षित है कि वे पाटनरोधी नियमावली के नियम 7(2) के अनुसार उसका अगोपनीय रूपांतर साथ-साथ प्रस्तुत करें। उपर्युक्त का पालन न करने पर उत्तर/अनुरोध रद्द हो सकते हैं।
28. प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध (परिशिष्ट/उससे संलग्न अनुबंध सहित) करने वाले पक्षकारों को प्रश्नावली के उत्तर सहित गोपनीय और अगोपनीय रूपांतर अलग-अलग दायर करने अपेक्षित हैं। यदि अनुरोध कई भागों में किया गया है तो संलग्न सभी भागों/ईमेल और दस्तावेजों की विषय-वस्तु का उल्लेख करते हुए प्रत्येक भाग में सूची तालिका उपलब्ध कराने का अनुदेश दिया जाता है। कृपया सभी अनुरोधों पर पृष्ठ संख्या डालना सुनिश्चित करें।
29. जहां मूल दस्तावेज हिंदी और अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भाषा में हैं, वहां हितबद्ध पक्षकारों से अनुरोध है कि वे यह सुनिश्चित करें कि मूल दस्तावेजों के साथ सही अनूदित रूपांतर उपलब्ध कराया जाए।

30. यह अनुरोध प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर “गोपनीय” अथवा “अगोपनीय” चिन्हित होने चाहिए। प्राधिकारी को ऐसे चिन्हों के बिना किया गया कोई भी अनुरोध “अगोपनीय” सूचना माना जाएगा, और प्राधिकारी उन अनुरोधों का निरीक्षण करने के लिए अन्य हितबद्ध पक्षकारों को अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।
31. अगोपनीय संस्करण गोपनीय संस्करण की एक प्रतिकृति होना आवश्यक है, जिसमें गोपनीय जानकारी को अधिमानतः अनुक्रमित या रिक्त स्थान दिया गया हो (यदि अनुक्रमण संभव न हो) और उस जानकारी के आधार पर संक्षेपित किया गया हो जिस पर गोपनीयता का दावा किया गया है। अगोपनीय सारांश में पर्याप्त विवरण होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई जानकारी के सार को उचित रूप से समझा जा सके। हालाँकि, असाधारण परिस्थितियों में, गोपनीय जानकारी प्रस्तुत करने वाला पक्ष यह संकेत दे सकता है कि ऐसी जानकारी का सारांश प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, और प्राधिकरण की संतुष्टि के लिए सारांशीकरण संभव न होने के कारणों का विवरण प्रदान किया जाना चाहिए। अन्य इच्छुक पक्ष दस्तावेजों के अगोपनीय संस्करण प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर दावा की गई गोपनीयता पर अपनी टिप्पणियाँ प्रस्तुत कर सकते हैं।
32. प्राधिकरण प्रस्तुत सूचना की प्रकृति की जाँच के आधार पर गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। यदि प्राधिकरण संतुष्ट हो जाता है कि गोपनीयता का अनुरोध उचित नहीं है या यदि सूचना प्रदाता सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्यीकृत या संक्षिप्त रूप में उसके प्रकटीकरण को अधिकृत करने के लिए तैयार नहीं है, तो वह ऐसी सूचना को अनदेखा कर सकता है।
33. ऐसी सूचना प्रदान करने वाले पक्षकार के विशिष्ट कथन के बिना किसी भी पक्षकार को इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा।
34. इच्छुक पक्षकार इस जांच आरंभ अधिसूचना के प्रासंगिक पैराग्राफों के अनुसार दस्तावेजों के अगोपनीय संस्करण के परिचालन की तारीख से 7 दिनों के भीतर घरेलू उद्योग द्वारा दावा किए गए गोपनीयता के मुद्दों पर अपनी टिप्पणियाँ प्रस्तुत कर सकते हैं।
35. प्राधिकरण, प्रदान की गई सूचना की गोपनीयता की आवश्यकता से संतुष्ट होने तथा उसे स्वीकार करने पर, ऐसी सूचना प्रदान करने वाले पक्ष के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी भी पक्ष को इसका खुलासा नहीं करेगा।

**त. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण**

36. पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची डीजीटीआर की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी और साथ ही उन सभी से अनुरोध किया जाएगा कि वे अपने अनुरोधों का अगोपनीय रूपांतर सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ईमेल करें। प्रश्नावली के उत्तर या अन्य अनुरोधों का अगोपनीय रूपांतर अधिमानतः उसी दिन सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को परिचालित किया जाना चाहिए और किसी भी दशा में गोपनीय आधार पर अनुरोध दायर करने के अगले दिन से बाद में नहीं। अनुरोध/उत्तर/सूचना का गोपनीय रूपांतर परिचालित न करने की स्थिति में किसी हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी माना जा सकता है।

**थ. असहयोग**

37. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उपयुक्त अवधि के भीतर आवश्यक सूचना तक पहुंच से इंकार करता है अथवा अन्यथा प्रदान नहीं करता है अथवा जांच में महत्वपूर्ण रूप से बाधा डालता है, तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं तथा अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणामों को दर्ज कर सकते हैं और केंद्र सरकार को ऐसी यथा-उपयुक्त सिफारिशें कर सकते हैं।

सिद्धार्थ महाजन, निर्दिष्ट प्राधिकारी

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY****(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)****INITIATION NOTIFICATION****New Delhi, the 31st October, 2025****Case No. – AD (OI) – 51/2025**

**SUBJECT: INITIATION OF AN ANTI-DUMPING INVESTIGATION CONCERNING IMPORTS OF HALO- ISOBUTENE-ISOPRENE RUBBER ORIGINATING IN OR EXPORTED FROM CHINA PR, SINGAPORE AND THE UNITED STATES OF AMERICA.**

**F. No. 6/59/2025-DGTR .—**

1. Having regards to the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter also referred as the “Act”) and the Customs Tariff (Identification, Assessment, and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 thereof, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the “Rules”), an application has been filed by Reliance Sibur Elastomers Private Limited (hereinafter referred to as the “applicant” or the “domestic industry”) before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the “Authority”) for initiation of an anti-dumping investigation concerning imports of Halo-Isobutene-Isoprene Rubber (hereinafter also referred to as “HIIR” or the “subject goods” or the “product under consideration”), originating in or exported from China PR, Singapore and the United States of America (hereinafter also referred to as the “subject countries”).
2. The applicant has alleged that injury is being caused to the domestic industry due to the alleged dumping of imports of the product under consideration originating in or exported from the subject countries. Accordingly, the applicant has requested for the imposition of anti-dumping duty on imports of the subject goods originating in or exported from the subject countries.

**A. PRODUCT UNDER CONSIDERATION**

3. The product under consideration is Halo-Isobutene-Isoprene Rubber, also known as Halobutyl Rubber. The product under consideration includes both Bromobutyl Rubber (“BIIR”) or Chlorobutyl Rubber (“CIIR”). The product under consideration is obtained through halogenation of the isoprene groups of the Isobutylene-Isoprene Rubber (“IIR”), producing a rubber with improved properties and characteristics.
4. HIIR is used in inner tubes of bicycles, passenger cars, trucks, and industrial and agricultural tyres. The product under consideration is also used for making hoses, seals, membranes, tank linings, conveyor belts, protective clothing and for consumer products, such as ball bladders for sporting goods.
5. The product under consideration is classified under Chapter 40 of Schedule I of the Customs Tariff Act, under the HS Code 4002 3900. However, during the injury period, the product under consideration has also been imported under HS Codes 4002 1990, 4002 3100 and 4002 4900. The Customs classification is only indicative and is not binding on the scope of the product under consideration.
6. The applicant has proposed that the PCN methodology, as was adopted in the previous investigation concerning the subject goods, may be adopted for the purpose of the present investigation as well.



PCN Parameter	Value	Code
Star-branched halo butyl	Chlorobutyl	SC
	Bromobutyl	SB
Other halo-butyl	Chlorobutyl	OHC
	Bromobutyl	OHB

**B. Like Article**

7. The applicant has claimed that the subject goods produced by the domestic industry are identical to the subject goods exported from the subject countries. The subject goods produced by the domestic industry have comparable characteristics to the subject goods imported from the subject countries in terms of technical specifications, physical and chemical characteristics, manufacturing process and technology, functions and uses, pricing, distribution and marketing and tariff classification. The two are technically and commercially substitutable. Therefore, for the purpose of initiation of the present investigation, the subject goods produced by the applicant are being treated as 'like article' to the subject goods originating in or exported from the subject countries.

**C. Domestic Industry and Standing**

8. The application has been filed by Reliance Sibur Elastomers Private Limited. The applicant is the sole producer of the subject goods in the country. The applicant has not imported the subject goods during the period of investigation and is not related to any exporter or importer of the alleged dumped article from the subject countries. In view of the above, the Authority *prima facie* notes that the applicant constitutes domestic industry under Rule 2(b) of the Anti-Dumping Rules, and the application satisfies the requirements of Rule 5(3) of the Rules.

**D. Subject Countries**

9. The subject countries in the investigation are China PR, Singapore and the United States of America.

**E. Period of Investigation**

10. The Authority has considered 1<sup>st</sup> July 2024 to 30<sup>th</sup> June 2025 (12 months) as the period of investigation. The injury investigation period shall cover the period April 2021 – March 2022, April 2022 – March 2023, April 2023 – June 2024 and the period of investigation.

**F. Basis of alleged dumping**

**Normal value for China PR**

11. The applicant has cited and relied upon Article 15(a)(i) of China's Accession Protocol and para 7 of the Annexure I to the AD Rules, and have claimed that China PR should be treated as a non-market economy and that producers from China PR should be directed to demonstrate that market economy conditions prevail in the industry with regard to the production and sales of the subject goods. Unless the producers from China PR show that such market economy conditions prevail, their normal value

should be calculated in terms of provisions of para 7 and 8 of Annexure I to the Anti-dumping Rules, 1995. The applicant has determined normal value based on price payable in India, having regard to international prices of raw material, IIR and remaining elements of cost of production as per data of the domestic industry, plus profits. The applicant has submitted that it did not have access to information required to determine normal value on any other basis listed in Para 7 of Annexure – I to the Rules.

12. For the purpose of initiation of this investigation, the normal value has been constructed by the Authority based on price payable in India which is based on the cost of production in India, considering international prices of raw material i.e IIR, duly adjusted with selling, general and administrative expenses, along with a reasonable profit margin.

#### **Normal value for Singapore and USA**

13. With respect to Singapore and USA, the applicant has submitted that it did not have access to information with regards to selling prices, or any other information with regard to the prevailing prices in the two countries. Therefore, the normal value has been constructed based on the normal value determined in the previous investigation for the two countries, adjusted for change in raw material cost between the two investigation periods.
14. However, the Authority, for the purpose of initiation has determined the normal value for Singapore and USA, having regard to the cost of production of the subject goods in Subject Countries based on facts available, considering international prices of raw material i.e IIR, having regard to the cost of production of the subject goods in India, duly adjusted for selling, general and administrative expenses and reasonable profits.

#### **Export price**

15. The export price of the subject goods has been determined by considering CIF price of the subject goods, as reported in the DG Systems data. Price adjustments have been made on account of ocean freight, marine insurance, commission, port and handling expenses, inland freight, bank charges, credit cost and inventory carrying costs to arrive at ex-factory export price.

#### **Dumping margin**

16. The dumping margin has been determined, in accordance with Section 9A(1)(a) of the Customs Tariff Act. The normal value and export price of the subject goods have been compared at the ex-factory level, which *prima facie* shows that the dumping margin is not only above the de-minimis level but is also significant in respect of imports of product under consideration from the subject countries. Thus, there is *prima facie* evidence that the product under consideration is being dumped in the Indian market by the exporters from the subject countries.

#### **G. Injury and Causal Link**

17. The information furnished by the applicant has been considered for assessment of injury to the domestic industry. The applicant has emphasized that the Authority found that the dumping of the subject goods was retarding the establishment of industry, in its final findings [F. No. 6/19/2023-

DGTR] dated 28<sup>th</sup> December 2024. The applicant has claimed that the since anti-dumping duty was not imposed pursuant to the findings, the domestic industry has continued to suffer retardation to its establishment. However, in case the industry is considered to be established, the information provided would show that the domestic industry has suffered material injury.

18. The applicant has furnished *prima facie* evidence with respect to the material injury suffered because of the alleged dumped imports. The information concerning imports and economic parameters of the domestic industry over the injury period show that the

imports have increased significantly in absolute terms and in relation to production and consumption in India. The prices of the subject goods have declined, and the imports have depressed the prices of the domestic industry. The domestic industry has faced underutilized capacities and has suffered significant losses and cash losses. The return on capital employed of the domestic industry is insignificant. There is sufficient *prima facie* evidence that the dumping of the subject goods is causing material injury to the domestic industry.

#### **H. Initiation of Anti-Dumping Investigation**

19. On the basis of the duly substantiated application filed by the domestic industry, and having satisfied itself, on the basis of the *prima facie* evidence submitted, substantiating dumping of the product under consideration from the subject countries, injury to the domestic industry and a causal link between such dumping and injury, and in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 5 of the Rules, the Authority, hereby, initiates an investigation to determine the existence, degree, and effect of the dumping with respect to the product under consideration originating in or exported from the subject countries and to recommend the appropriate amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

#### **I. Procedure**

20. The provisions stipulated in Rule 6 of the Anti-Dumping Rules shall be followed in the present investigation.

#### **J. Submission of Information**

21. All communication should be sent to the Authority via email at email addresses [dd15- dgtr@gov.in](mailto:dd15-dgtr@gov.in) and [jd13-dgtr@gov.in](mailto:jd13-dgtr@gov.in) with a copy to [adv13-dgtr@gov.in](mailto:adv13-dgtr@gov.in). It should be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/ MS Word format and data files are in MS Excel format. Submissions requiring special software to access the files will not be accepted.
22. The known producers/exporters in the subject countries, the governments of the subject countries through their embassies in India, and the importers and users in India known to be concerned with the subject goods are being informed separately to enable them to file all the relevant information in the form and manner prescribed within the time limit set out below.
23. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the form and manner prescribed within the time limit set out below. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non- confidential version of the same available to the other parties.

**K. Time Limit**

24. Any information relating to the present investigation should be sent to the Designated Authority via email at the following email addresses [dd15-dgtr@gov.in](mailto:dd15-dgtr@gov.in), [jd13-dgtr@gov.in](mailto:jd13-dgtr@gov.in) and [adv13-dgtr@gov.in](mailto:adv13-dgtr@gov.in) within 30 days from the date on which it was sent by the Designated Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting country as per Rule 6(4) of the AD Rules. It may, however, be noted that in terms of explanation of the said Rule, the notice calling for information and other documents shall be deemed to have been received within one week from the date on which it was sent by the Designated Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting countries. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the AD Rules.
25. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit.
26. Where an interested party seeks additional time for filing of submissions, it must demonstrate sufficient cause for such extension in terms of Rule 6(4) of the AD Rules and such request must come within the time stipulated in this notification.

**L. Submission of Information on Confidential Basis**

27. Any party making any confidential submission or providing information on a confidential basis before the Authority, is required to simultaneously submit a non- confidential version of the same in terms of Rule 7(2) of the AD Rules. Failure to adhere to the above may lead to the rejection of the response / submissions.
28. The parties making any submission (including Appendices/Annexures attached thereto), before the Authority including questionnaire response, are required to file Confidential and Non-Confidential versions separately. In case, the submission is made in multiple parts, it is instructed to provide an index table in each part outlining the contents of all parts/emails and documents enclosed. Please ensure page numbering on all submissions.
29. Where the original documents are in a language other than Hindi and English, the interested parties are requested to ensure that the true translated version is provided along with the original documents.
30. The “confidential” or “non-confidential” submissions must be clearly marked as “confidential” or “non-confidential” at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions.
31. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on a confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to a summary, and a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the

Authority. The other interested parties may offer their comments on the confidentiality claimed within 7 days of receiving the non- confidential version of the documents.

32. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.
33. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or a good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.
34. The interested parties can offer their comments on the issues of confidentiality claimed by the domestic industry within 7 days from the date of circulation of the non- confidential version of the documents in terms of relevant paragraphs of this initiation notification.
35. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorisation of the party providing such information.

**M. Inspection of Public File**

36. A list of registered interested parties will be uploaded on DGTR's website along with the request therein to all of them to email the non-confidential version of their submissions to all other interested parties. The non-confidential version of the questionnaire response or other submissions should preferably be circulated to all other interested parties on the same day and, in no case, later than the day following the filing of submissions on a confidential basis. Failure to circulate a non-confidential version of submissions/responses/information might lead to the consideration of an interested party as non-cooperative.

**N. Non-cooperation**

37. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings based on the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

**SIDDHARTH MAHAJAN Designated Authority**